राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित	प्रस्तुतिकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	230 / 2024	टीकू राम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बाडमेर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बाडमेर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	03.06.2024
2	245 / 2024	केदार प्रसाद बंजारा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, गंगापुर सिटी। 5. जिला अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, गंगापुर सिटी।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	15.07.2024
3	253 / 2024	भवानी सिंह शेखावत	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रीमाधोपुर, सीकर। 5. जिला अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रीमाधोपुर, सीकर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	22.07.2024
4	259 / 2024	सुनिता सांखला	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.08.2024
5	260 / 2024	युद्धिष्ठिर सिंह परिहार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.08.2024

6	261/2024	त्रिभुवनलाल बोहरा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.08.2024
7	262/2024	मोहम्मद सलीम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.08.2024
8	276/2024	राजेश्वरी व्यास	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।	श्री के.पी. सिंह भाटी	29.08.2024
9	290/2024	अनुराधा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।	श्री के.पी. सिंह भाटी	20.09.2024

आदेश की दिनांक : 26.03.2025
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों को इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। अपील संख्या 230/2024 टीकू राम बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में आदेश दिनांक 28.02.1992 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत हुई थी (अनुलग्नक–1)। उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर आदेश दिनांक 16.10.1997 को समायोजित किया गया (अनुलग्नक–2)। उनका कथन है कि उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान

4500–7000 (9ए) का लाभ नहीं दिया गया जबकि वह अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर कार्य कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में आदेश दिनांक 03.07.2009 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी के समान अन्य प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक ग्रेड –।।। पर समायोजित कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड–।।। को वेतनमान 4500–7000 (9ए) प्रदान करने हेतु आदेशित किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.07.2009 के विरूद्ध डीबी रेस्टोरेशन संख्या 219/2019 (राज्य एवं अन्य बनाम हरफूल सिंह एवं अन्य) के प्रकरण में अपील दायर की गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2019 को खारिज की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.08.2019 के विरूद्ध शासन स्तर से आगे विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं किए जाने का स्थाई समिति द्वारा निर्णय लिया गया (अनुलग्नक–5)। इससे पूर्व समान प्रकरण अपील संख्या 77/2024 राजीव चौधरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 23.04.2024 द्वारा भी प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–ाा को देय अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी नियमानुसार स्वीकृत की जाकर भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड–।।। के वेतनमान रुपए 4500–7000(9ए) पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी 27 वर्षीय सेवा पूर्ण कर चुका है। अधिकरण द्वारा भी इस तरह के अन्य कई प्रकरणों में आदेश पारित कर 4500–7000 (9ए) वेतनमान का लाभ देने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड–ाा का वेतनमान 4500–7000 (9ए) मय समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे और सभी वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि के लाभ तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उन्हें अध्यापक–ग्रेड–ाा के पद पर समायोजित किया जा चुका है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या F.16(5)FD(Rules)/98 Jaipur दिनांक 07.08.1998 के अनुसार जो प्रयोग शाला सहायक अध्यापक तृतीय श्रेणी की योग्यता धारित नहीं करता है उन्हें वेतन श्रृंखला 4000–6000 में ही वेतन दिया जाना है, जब तब उनके द्वारा निर्धारित योग्यता

STC/B.ed. धारित नहीं की जाती है। उक्त अधिसूचना का बिन्दू 14 निम्नानुसार है :—

> *"The Laboratory Assistants absorbed on the post of Teacher and who do not possess qualification of STC/B.Ed. shall continue to draw pay in the pay scale of 4000-6000 till they acquire qualification of STC/B.Ed. TGhe senior scale and selection scale be adminssible to them as admissible to Laboratory Assistants as per these orders."*

अपीलार्थी द्वारा अध्यापक की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वर्ष 1991 में धारित नहीं होने के कारण वेतन श्रृंखला 4000—7000(9A) का लाभ दिनांक 01.07. 1998 से प्राप्त करने का पात्र नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2009 में B.Ed. की योग्यता हासिल की गई है। अतः इस अवधि से पूर्व 4500—7000 वेतन श्रृंखला का वेतन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। साथ ही, निवेदन किया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.02.1998 जिसके द्वारा संशोधित वेतनमान 1998 (5वां वेतन कमीशन) की अभिशंषाओं को अधिसूचना दिनांक 17.02.1998 द्वारा लागू किया गया है। जिसमें अध्यापक ग्रेड तृतीय और प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान 4000—6000(9) निर्धारित किया गया है। उसके पश्चात् अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय की वेतन श्रृंखला 4500—7000 (9A) निर्धारित की गई और प्रयोगशाला सहायक की वेतन श्रृंखला यथावत् 4000—6000 रखी गई। अतः अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 1996 से वेतन श्रृंखला 4000—7000 में वेतन नियत किये जाने की मांग पूर्णतया गलत है क्योंकि वर्ष 1996 को 4500—7000 का वेतन अस्तित्व में ही नहीं था। अपीलार्थीगण द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील संख्या 18506/2011 शंकर सिंह बनाम वित्त विभाग में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.04.2013 के द्वारा उक्त अपील को खारिज किया जा चुका है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.1998 को यथावत रखा है। इस प्रकार अपीलार्थी का कोई लाभ शेष नहीं रह जाता है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावें।

4. हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड—III के पद पर

समायोजित करने का निर्णय लिया गया। निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर दिनांक 16.10.1997 द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किये जाने के संबंध में अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। जिसमें अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर सामयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि समायोजन के पश्चात उन्हें प्रयोगशाला सहायक की वेतन श्रृंखला में रखा जाएगा अथवा तृतीय श्रेणी अध्यापक की वेतन श्रृंखला में वेतन नियतन किया जाएगा। अपीलार्थी के संबंध में जारी समायोजन के आदेश दिनांक में भी तृतीय श्रेणी सामान्य अध्यापक के पद के विरूद्ध समायोजन करने का अंकन है। इन आदेशों में कहीं भी यह अंकन नहीं है जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक श्रेणी तृतीय की शैक्षणिक योग्यता नहीं करता है उनके संबंध में पृथक् से वेतन श्रृंखला निर्धारित की जावेगी। संशोधित वेतनमान नियम, 1998 में अध्यापक ग्रेड तृतीय और प्रयोगशाला सहायक हेतु समान वेतनमान 4000–6000(9) नियत किया गया था, परन्तु बाद में अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए वेतन श्रृंखला 4500–7000(9A) नियत की गई।

6. अपीलार्थी का अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजन आदेश दिनांक 16.10.1997 (अनुलग्नक–2) के द्वारा किया गया। अपील में अध्यापक ग्रेड–।।। को स्वीकृत वेतनमान 4500–7000 (9ए) स्वीकृत कराने, पारिणामिक परिलाभ एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का अनुतोष चाहा गया है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003) में आदेश दिनांक 03.07.2009 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि :–

> *"I considered the submissions of learned counsel for the parties and perused the notification dated 7.8.1998 by which a new pay scale no.9A has been inserted and it has been clearly mentioned that this new pay scale 9A is to be inserted below pay scale 9. Therefore, the contention of the petitioners that there exist no pay scale 9 is not sustainable. However, the petitioners are admittedly appointed on the post of teacher grade-III and there is only one pay scale for teacher grade-III and that pay scale is 9A as is clear from notification dated 7.8.1998 whereby for teacher grade-III, the pay scale has been increased from 4000-600(9) to Rs.4500-7000(9A) and respondents failed to show that there can be two pay scales for teacher grade- III and that is on the basis of the source of appointment.*
>
> *In view of the above reasons, the writ petition of the petitioners is allowed and it is held that petitioners are entitled to the pay scale of Rs.4500-7000 (9A) in view of notification dated 7.8.1998 irrespective of the fact that there exist pay scale no.9. The petitioner be granted all the consequential benefits in the light of this decision within a period of three months from today. "*

रिट याचिका में याचीकर्त्ता की तरफ से यह निवेदन किया गया था कि वे निर्धारित योग्यता धारित करते है।

8. माननीय उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील संख्या 18506/2011 शंकर सिंह बनाम वित्त विभाग में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.1998 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.04.2013 के द्वारा उक्त अपील को निम्नलिखित निर्णय के द्वारा खारिज किया गया :–

> *"The Petitioner's grievance is that he should been allowed the grade of 4500-7000 from the date when the Revised Pay Scale Rules came into force because at the time of his absorption there was no condidtion of acuqiring any qualification required for the purpse. We are afraid that we do not agree with the contention of the learned counsel for petitioner because the rules of absorption are mainly made with the object of ensuring that in case of being declared surplus from one post, the personnel does not become jobless and therefore any requesite qualification for the time being in force, is relaxed but that does not mean the government cannot prescribed requisite qualification for a particular class specially in the case of a Teacher, who is required to teach the students and prepare them for tomorro and has to be trained to be ab le to teach, whereas the nature of job of Lab Assistant is altogether different.*
>
> *15. For the foregoing reasons we do not find clause 14 of Memorandam dated 07-08-1998 or order dated 29-10-1999 to be ultra vires or contrary to any Rule. The petition having been found to be merit-less deserves to be dismissed.*
>
> *16. According the writ petition is dismissed."*

9. उक्त न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट है कि प्रयोशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड तृतीय वेतन श्रृंखला का वेतनमान 4500–7000(9A) उस दशा में स्वीकृत किया जावेगा जब उनके द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारित कर ली जावेगी। उपरोक्त प्रकरणों में अपीलार्थीगण द्वारा शेक्षणिक योग्यता धारित करने का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	धारित शैक्षणिक योग्यता	शैक्षणिक योग्यता धारण का वर्ष	संस्थान
1	230/2024 टीकू राम	B.Ed.	2004	DIET, Barmer
2	245/2024 केदार प्रसाद बंजारा	B.Ed.	2009	VMO University Kota
3	253/2024 भवानी सिंह शेखावत	BSTC	2004	शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर
4	259/2024 सुनिता सांखला	BSTC	2004	शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर
5	260/2024 युद्धिष्ठिर सिंह परिहार	BSTC	2004	शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर

6	261/2024 त्रिभुवनलाल बोहरा	BSTC	2004	शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर
7	262/2024 मोहम्मद सलीम	BSTC	2004	शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर
8	276/2024 राजेश्वरी व्यास	B.Ed.	1994	JNVU, Jodhpur
9	290/2024 अनुराधा	B.Ed.	1998	Kota Open University Kota

हम यह पाते है कि उपरोक्त सभी अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उनके नाम के सम्मुख वर्णित वर्ष में धारित की गई है। अतः तदनृसार अध्यापक ग्रेड तृतीय हेतु निर्धारित वेतन श्रृंखला 4500–7000(9A) प्राप्त करने के अधिकारी है।

10. वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमश 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है।
11. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को उनकी शैक्षणिक योग्यता धारित करने के दृष्टिगत अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय वेतनमान 4500–7000(9A) स्वीकृत किया जावे एवं इस अनुरूप चयनित वेतनमान/एसीपी नियमानुसार स्वीकृत की जाकर भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
12. मूल आदेश अपील संख्या 230/2024 टीकू राम बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य में रखा जावे एवं इस आदेश की प्रति तालिका के क्रम संख्या 02 से क्रम संख्या 09 तक की अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

AP/-